रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2013/भाद्र 20, 1935
No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2013/BHADRA 20, 1935

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

सं.एल.7/105(121)/2007-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 है;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन** : (1) मूल विनियम के (1) विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"(छ-क) "अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार" से ऐसे संव्यवहार अभिप्रेत है जो आगामी दिवस संव्यवहार कालावधि की समाप्ति के पश्चात् होते दिवस (टी) पर किए जाते हैं और विद्युत का परिदान उसी दिन (टी) या अगले दिन (टी+1) को होता है और जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित किए जाते हैं।"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड 1 के उपखंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) "अंतःराज्यिक संस्था" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी मीटरिंग, यथास्थिति, राज्य पारेषण कंपनी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाती है और लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या किसी अन्य प्राधिकृत राज्य अभिकरण द्वारा किया जाता है ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड 1 के उपखंड (क्ष) में आने वाले "एक राज्य पारेषण कंपनी" शब्दों को हटा दिया जाएगा ।

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (2) की पंक्ति 2 और पंक्ति 3 में, "ग्रिड कोड" शब्दों के स्थान पर, "आयोग द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम" शब्द रखे जाएंगे।

3. **मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधन :**

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(2) जब कोई राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के माध्यम से व्यापार में सहभागिता का प्रस्ताव करती है तो वह ऐसे प्ररूप, जो विस्तृत प्रक्रिया में विहित किया जाए, में संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र से "अनापत्ति" या "पूर्व स्थायी अनुमति" अभिप्राप्त करेगा जिसमें उस कुल मेगावाट का उल्लेख किया गया हो जिसके लिए राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में क्रय या विक्रय बोली (बोलियों) को एक साथ प्रस्तुत कर सके । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई "अनापत्ति" या "पूर्व स्थायी अनुमति" किसी एक्सचेंज विशेष, के लिए विनिर्दिष्ट नहीं होगी।'

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2 क) राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति का उपयोग और/या किसी भी पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) पर आगामी दिवस के लिए सामूहिक संव्यवहार के लिए ओटीसी बाजार या पावर एक्सचेंज बाजार में द्विपक्षीय अंतःद्विवसीय संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार के लिए किया जा सकता है:

परंतु यह कि आगामी दिवस के लिए सामूहिक संव्यवहारों के लिए या द्विपक्षीय अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार के लिए अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति के लिए एसएलडीसी को आवेदन करते समय, आवेदक यह घोषणा करेगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि सामूहिक संव्यवहारों [पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर आगामी दिवस संविदा] में और/या अंतः दिवस/आकस्मिक

संव्यवहारों (ओटीसी बाजार और/या पावर एक्सचेंज बाजार में) के लिए सभी बोली (बोलियों) के लिए 15 मिनट के प्रत्येक समय ब्लॉक में कुल मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति प्रदान की गई हो:

परंतु यह और कि उस अनुमति का उपयोग स्थायी अनुमति में यथाविनिर्दिष्ट मात्रा एवं समय के अधीन रहते हुए, आगामी दिवस संव्यवहार के लिए भी किया जा सकेगा:

परंतु यह भी कि स्थायी अनुमति प्रदान करते समय, अनुमति की समय अवधि को या तो घंटों के समय ब्लॉक में या पीक अवधि या ऑफ पीक अवधि या राउंड दी क्लॉक (आरटीसी) के आधार पर परिभाषित किया जा सकेगा:

परंतु यह भी कि जहां एसएलडीसी द्वारा किसी संस्था द्वारा मात्रा तथा समय का उल्लंघन करने के बारे में रिपोर्ट किया जाता है वहां आयोग, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सात दिनों के लिए विद्युत बाजार में संव्यवहार से उस संस्था को विवर्जित कर सकेगा।"

(3) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के उपखंड (क) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

"परंतु यह कि द्विपक्षीय संव्यवहारों (अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक सौदों को छोड़कर) के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए एसएलडीसी को आवेदन करते समय, विस्तृत प्रक्रिया में विहित प्ररूप में सम्यक रूप से नोटेरीकृत एक शपथ-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि:

(i) ऐसे प्रस्तावित संव्यवहार, जिसकी सहमति के लिए आवेदन किया गया है, के अंतर्गत विद्युत की बिक्री के लिए, संबंधित व्यक्तियों के साथ वैध संविदा है;

(ii) उपरोक्त (i) में यथाउल्लिखित, उसी विद्युत की बिक्री के लिए कोई अन्य संविदा नहीं है:

परंतु यह कि सामूहिक संव्यवहारों की दशा में अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति प्राप्त करने के लिए एसएलडीसी को आवेदन करते समय शपथपत्र में यह भी घोषणा शामिल की जाएगी कि उस विद्युत की बिक्री के लिए कोई अन्य संविदा नहीं की गई है जिसके लिए अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति के लिए आवेदन किया गया है।"

(4) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (3) के उपखंड ख(iii) के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात्:

"(iii) द्विपक्षीय संव्यवहारों की बाबत इस विनियम के खंड (3) के उपखंड (क) के दूसरे परंतुक तथा सामूहिक संव्यवहारों के संबंध में अंतिम परंतुक के अनुसार वैध संविदा के अस्तित्व से संबंधित शपथ पत्र को प्रस्तुत करना ।"

(5) मूल विनियम (परंतुक को छोड़कर) के विनियम 8 के खंड (3) के उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :

"(ग) जहां आवश्यक अवसंरचना की विद्यमानता, राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता तथा इस विनियम के खंड (3) के उपंखड (क) के परंतुकों के अधीन यथापेक्षित शपथ पत्र की प्रस्तुति सिद्ध हो जाती है, वहां राज्य भार प्रेषण केन्द्र आवेदन की प्राप्ति के तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर, संसूचना की, किसी अन्य प्रायिक रूप से मान्य पद्धति के अतिरिक्त, ई-मेल या फैक्स द्वारा आवेदक को, यथास्थिति, अपनी सहमति या कोई अनापत्ति या पूर्व स्थायी अनुमति, संसूचित करेगा।"

(6) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) में, 'राज्य नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की अनुपलब्धता' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"या इस विनियम के खंड (3) के उपखंड (क) के सुसंगत परंतुकों के अनुसार, शपथपत्र को प्रस्तुत न करना।"

(7) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (4) के दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक तथा दूसरे परंतुक के पश्चात्, दो नए परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी अनुमति राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, प्रदत्त की गई समझी गई है, वहां यथास्थिति, राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था या अल्पकालिक ग्राहक, जैसे आवेदक द्विपक्षीय संव्यवहारों की दशा में नोडल अभिकरण (संबंधित भार प्रेषण केन्द्र) तथा आगामी दिन के लिए या पावर एक्सचेंज के माध्यम से द्विपक्षीय अंतःदिवस संव्यवहार/आकस्मिक के लिए सामूहिक संव्यवहारों की दशा में कम से कम तीन दिन अग्रिम में विस्तृत प्रक्रिया में यथा उपबंधित प्ररूप में निम्नलिखित घोषणा करने वाला एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।"

(क) यह कि राज्यभार प्रेषण केन्द्र विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, आवेदन में पाई गई किसी कमी या त्रुटि या उसके इंकार करने के कारण या सहमति या 'अनापत्ति' या पूर्व स्थायी अनुमति को बताने में असफल हो गया है;

(ख) प्रवृत्त ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार समय ब्लॉकवार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखांकन के लिए आवश्यक अवसंरचना विद्यमान है;

(ग) निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगा:

(i) यथास्थिति, 'सहमति', या 'अनापत्ति' या 'पूर्व स्थायी अनुमति', चाहने के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किए गए आवेदन की पूर्ण प्रति;

(ii) राज्यभार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रेषित आवेदन में कोई कमी या त्रुटि तथा कमी को दूर करने या त्रुटियों को सुधारने के लिए की गई कार्रवाई;

(iii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दी गई अभिस्वीकृति, यदि कोई हो, की प्रति, या राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आवेदन भेजने का कोई अन्य साक्ष्य;

(iv) इस विनियम के विनियम 8 के खंड (3 क) के परंतुकों के अनुसार आवश्यक शपथ पत्र:

परंतु यह भी कि पावर एक्सचेंज, यथास्थिति, राज्य कंपनी या अंतःराज्यिक संस्था या अल्पकालिक ग्राहक से प्राप्त किए गए दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र की प्रति परिदान करने से कम से कम दो दिन पूर्व नोडल अभिकरण (राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र) को भेजेगा:

परंतु यह भी कि द्विपक्षीय संव्यवहार के मामले में संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा आगामी दिवस के सामूहिक संव्यवहार या पावर एक्सचेंज के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार/आकस्मिक संव्यवहार की स्थिति में, संबंधित पावर एक्सचेंज, संबंधित राज्यभार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को शपथ पत्र की प्रति सभी दस्तावेजों सहित, प्राप्ति के दिन ही अग्रेषित करेगा।

4. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधन :

(1) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) इस विनियम के खंड 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केन्द्र की संस्था के बाध्यकारी कारणों से बंद हो जाने की दशा में, अल्पकालिक द्विपक्षीय संव्यवहारों के अंतर्गत विद्युत का अनुसूचीकरण समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 6.5 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:

"(3) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुसूची का अधोगामी पुनरीक्षण (शून्य अनुसूची के पुनरीक्षण सहित) चाहने वाला कोई भी व्यक्ति उतने दिनों के, इन विनियमों के विनियम 17 के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट प्रचालन प्रभार का संदाय करेगा जिसके लिए ऊर्जा को अनुसचित किया गया है और रद्द करने की स्थिति में, दो अतिरिक्त दिनों या रद्द करने के दिनों की अवधि, जो भी कम हो, का प्रचालन प्रभार संदेय होगा।"

5. **मूल विनियम के विनियम 16 में संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"16. पारेषण प्रभार

(1) द्विपक्षीय एवं सामूहिक संव्यवहारों में, अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान एवं अनुमति के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक पारेषण के लिए प्रादेशिक परिधि में अनुमोदित ऊर्जा के लिए पारेषण प्रभार, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार संदाय होंगे।

3934 GI/13-2

(2) अंतःराज्यिक संस्थाओं इस विनियम के खंड (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अतिरिक्त, अपने-अपने राज्य आयोग द्वारा यथानियत राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों का संदाय करेंगी:

परंतु यह कि जहां राज्य आयोग ने ₹/किलोवाट घंटे में राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को अवधारित नहीं किया है वहां अपने-अपने राज्य नेटवर्क के प्रयोग के लिए प्रभार अनुमोदित ऊर्जा के लिए ₹ 80/मेगावाट घंटे की दर पर संदाय होंगे:

परंतु यह कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए राज्य आयोग द्वारा पारेषण प्रभारों के निर्धारित न होने की स्थिति में निर्बाध पहुंच के लिए इंकार करने के लिए आधार नहीं होगा।

परंतु यह कि राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए संदेय पारेषण प्रभार राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को प्रेषित किए जाएंगे। ये प्रभार संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र और प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित किए जाएंगे:

परंतु यह और कि पारेषण प्रभारों को भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा।

6. **मूल विनियम के विनियम 20 का संशोधन :**

(1) मूल विनियम के विनियम 20 के खंड (3) में आने वाले 'राज्य कंपनी' शब्दों को 'राज्य अभिकरण' शब्दों द्वारा बदला जाएगा।

(2) मूल विनियम के विनियम 20 के खंड (5) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि अतिरिक्त अननुसूचित अंतर विनिमय प्रभार (विचलन प्रभार) के सभी संदाय तथा अननुसूचित अंतर विनिमय (विचलन प्रभार) के सभी अन्य पहलुओं के लिए ब्याज तथा विवक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित अंतर विनिमय प्रभार और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के उपबंधों या उनकी किन्हीं पश्चात्वर्ती पुर्नअधिनियम के अनुसार, विनियमित किए जाएंगे।"

7. **मूल विनियम के विनियम 21 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 21 के खंड (1) के परंतुक में आने वाले 'राज्य कंपनी' शब्दों को 'राज्य अभिकरण' शब्दों द्वारा बदला जाएगा।

8. **मूल विनियम के विनियम 22 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 22 के खंड (1) के स्थान पर, निम्नानुसार खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विशेष ऊर्जा मीटरों को क्षेत्रीय संस्थाओं की लागत पर और उनके लिए केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा तथा अंतःराज्यिक संस्थाओं की लागत पर और उनके लिए, यथास्थिति, राज्य पारेषण उपक्रमों या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाया जाएगा।"

9. **मूल विनियम के विनियम 23 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**23. पारेषण हानियां**

(1) विद्युत विक्रेता और क्रेता पारेषण प्रणाली की उन ऊर्जा हानियों का वहन करेंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार अवधारित किए जाएं तथा जो उक्त विनियमों के अधीन जारी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार लागू किए जाएंगे।

(2) ऊर्जा हानियों की संगणना विद्युत के प्रदाय तथा अनुमति के स्थान पर अनुसूचियों के बीच अंतर प्रदान करने के लिए की जाएगी।

(3) लागू पारेषण हानियां अग्रिम में घोषित की जाएंगी और भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित नहीं की जाएंगी।"

10. **मूल विनियम के विनियम 25 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**25. पारेषण प्रभारों का संग्रहण तथा संवितरण** :

(1) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार तथा प्रचालन प्रभार निर्बाध पहुंच को अनुमोदित करते समय नोडल अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संदेय पारेषण प्रभार और राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभारों को पृथक् रूप से उपदर्शित किया जाएगा। अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली एवं अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों तथा आरएलडीसी और एसएलडीसी दोनों के प्रचालन प्रभारों को द्विपक्षीय संव्यवहारों के मामले में नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत किया जाएगा। सामूहिक संव्यवहारों के मामले में नोडल अभिकरण अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों और आरएलडीसी/एनएलडीसी के प्रचालन प्रभारों का संग्रहण करेगा। सामूहिक संव्यवहारों के मामले में राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभार और एसएलडीसी के लिए प्रचालन प्रभारों को संबंधित एसएलडीसी के साथ पावर एक्सचेंज एक्सचेंजों द्वारा प्रत्यक्षतः भुगतान किया जाएगा।

(2) अंतःक्षेपण के प्रत्येक स्थान या अनुमति के प्रत्येक स्थान के लिए द्विपक्षीय या सामूहिक संव्यवहार के लिए, राज्य नेटवर्क से भिन्न, पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत पारेषण प्रभारों को संवितरण के लिए केन्द्रीय पारेषण कंपनी (सीटीयू) को दिया जाएगा। सीटीयू समक्रमित (सिंक्रोनाईज) संबद्ध ग्रिड के लिए, जहां, यथास्थिति, अंतःक्षेपण स्थान या प्राप्त करने का

स्थान अवस्थित है, उन दीर्घकालिक ग्राहकों को, समय-समय पर, यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार, लक्षित क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक पहुंच के लिए समायोजन करने के बाद, उनके द्वारा संदेय मासिक पारेषण प्रभारों के समानुपात में, इन पारेषण प्रभारों को संवितरित करेगा।

(3) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच अनुज्ञात किए गए व्यक्तियों द्वारा संदेय प्रचालन प्रभारों को, सामूहिक संव्यवहार के मामले में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रचालन प्रभारों को छोड़कर, नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत और संवितरित किया जाएगा।

(4) यदि राज्य कंपनी अल्पकालिक ग्राहक है तो नोडल अभिकरण द्वारा संगृहीत प्रचालन प्रभार और पारेषण प्रभारों में राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए प्रभार तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए प्रचालन प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे।

(5) राज्य नेटवर्क के उपयोग के लिए, पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य पारेषण कंपनी को संवितरित किया जाएगा।

(6) निर्बाध पहुंच चाहने वाले आवेदक द्वारा संवितरण कंपनिओं को संदेय चक्रण (व्हीलिंग) तथा अन्य प्रभार संबंधित राज्य आयोग के निर्बाध पहुंच विनियम के अनुसार प्रदत्त किए जाएंगे।

11. **मूल विनियम के विनियम 25क का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 25 (क) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"अल्पकालिक पहुंच नहीं प्रदान की जाएगी : —

25क. जब आयोग द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र ऐसी संस्थायों या ऐसी संस्थायों के सहयुक्तों को द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए (जिसमें पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारों सम्मिलित है) अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदत्त नहीं करेंगे जो लगातार तथा जानबूझकर अननुसूचित विनियम (विचलन) प्रभार, पारेषण प्रभार, रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार, संकुचन प्रभार, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के लिए फीस तथा प्रभार, जिसमें एकीकृत भार प्रेषण या संचार स्कीम के लिए प्रभार तथा अल्पकालिक अंतरराज्यिक संव्यवहार के लिए अंत:राज्यिक संस्था द्वारा एसएलडीसी के लिए अननुसूचित अंतर विनियम (विचलन) प्रभार भी सम्मिलित हैं, के संदाय में चूक करते हैं।"

12. **मूल विनियम के विनियम 27 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 27 के खंड (च) में आने वाले "राज्य कंपनी" शब्दों के स्थान पर "राज्य पारेषण कंपनी" शब्द रखे जाएंगे।

अ. कु. सक्सेना, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/150/13]